

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

सच्चिदानन्द चौधरी,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

प्राचार्य,
जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय,
भागलपुर।

पटना, दिनांक-०७ / ०३ / २०१८

विषय:- जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय, भागलपुर को विपत्र कोड-20-2210051050010 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में विभिन्न ईकाइयों में कुल रू० 15,50,000/- (रूपये पन्द्रह लाख पचास हजार) मात्र के अतिरिक्त आवंटन की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्राचार्य, जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय, भागलपुर के पत्रांक-326, दिनांक-06.02.2018 के आलोक में जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय, भागलपुर को विपत्र कोड-20-2210051050010 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में विभिन्न ईकाइयों में कुल रू० 15,50,000/- (रूपये पन्द्रह लाख पचास हजार) मात्र के अतिरिक्त आवंटन निम्नरूपेण प्रदान की जाती है-


विषय शीर्ष	बजट उपबंध	पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन	अद्यतन कुल आवंटन	शेष राशि
0010.06.01 चिकित्सा प्रतिपूर्ति	500000	250000	250000	500000	0
0010.16.01 प्रकाशन एवं मुद्रण	100000	50000	50000	100000	0
0010.21.01 सामग्री एवं पूर्तियाँ	2500000	1250000	1250000	2500000	0
कुल योग-	3100000	1550000	1550000	3100000	0

2. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 2561/वि०(2), दिनांक-17.04.98, 2356/वि०(2), दिनांक-12.04.06, 2938/वि०(2), दिनांक-08.04.08 एवं 3388/वि०(2), दिनांक-18.04.11 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है एवं इनके प्रावधानों के अनुपालन की जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, प्राचार्य, जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय, भागलपुर होंगे तथा नियंत्रण पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार, पटना होंगे।


4. इस राशि के व्यय का वहन व्यय माँग संख्या-20, मुख्य शीर्ष-2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-05-चिकित्सा शिक्षा-प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105- एलोपैथी-0010- भागलपुर मेडिकल कॉलेज, विपत्र कोड-20-2210051050010 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में उपबंधित राशि से की जायेगी।

क्रमशः



5. आवंटित राशि की व्यय विवरणी कोषागार प्रमाणक संख्या एवं तिथि सहित प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। चालू वित्तीय वर्ष में प्राप्त आवंटन से किये गये व्यय का महालेखाकार, बिहार, पटना द्वारा सत्यापित कराकर सत्यापित प्रतिवेदन भी विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। महालेखाकार का सत्यापित प्रतिवेदन अप्राप्त होने की स्थिति में किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता प्रकाश में आने पर इसकी सारी जवाबदेही आपकी होगी।
6. यह मात्र आवंटन है, व्यय की स्वीकृति नहीं। इस राशि से क्रय संबंधी कार्य वित्त नियमावली एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों/अनुदेशों के आलोक में निर्धारित शर्तों के तहत किया जाएगा।
7. इस आवंटन से पूर्व के बकाये का भुगतान किया जा सकता है। न्यायादेश से आच्छादित मामलों में बकाये के भुगतान में प्राथमिकता दी जाय। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी लंबित दायित्वों के भुगतान के पूर्व यह सुनिश्चित हो लेंगे कि बकाये की निकासी पूर्व में नहीं की गई है और दावा नियमानुकूल है।
8. इस राशि की निकासी जिला कोषागार, भागलपुर से की जाएगी।
9. इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना को दी जा रही है।
10. इसमें प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन




(सच्चिदानन्द चौधरी)

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक-1/ज0कॉ0-03/2017- 102(1)कॉ0 /स्वा0, पटना, दिनांक-07 /03 /2018
प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, भागलपुर/जिलाधिकारी, भागलपुर/कोषागार पदाधिकारी, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- मा0 मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के निजी सहायक/संयुक्त सचिव (प्रभारी प्रशाखा-1), स्वास्थ्य विभाग के निजी सहायक/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार पटना/प्रशाखा पदाधिकारी-1 एवं कार्यवाह सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।



सरकार के विशेष सचिव